

भारत सरकार
इस्पात मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 290
21 जुलाई, 2026 को उत्तर के लिए

भिलाई इस्पात संयंत्र के स्वामित्व वाली भूमि के हस्तांतरण की स्थिति

290 श्री विजय बघेल :

क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार इस तथ्य से अवगत है कि नेवई बस्ती, जो श्रमिकों की घनी आबादी वाला क्षेत्र है, की पूरी बसावट वाली भूमि का हस्तांतरण जिला प्रशासन और संयंत्र के अधिकारियों की उदासीनता और लापरवाही के कारण आज भी लंबित है; और

(ख) सेल बोर्ड के माध्यम से रिसाली नगर निगम को भिलाई इस्पात संयंत्र (बीएसपी) के स्वामित्व वाली भूमि, घनी आबादी वाली श्रमिक कॉलोनी, नेवई बस्ती, मरोदा, जिला दुर्ग (छत्तीसगढ़) के हस्तांतरण की वर्तमान स्थिति का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

इस्पात राज्य मंत्री

(श्री भूपतिराजु श्रीनिवास वर्मा)

(क) और (ख): स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (सेल)/भिलाई इस्पात संयंत्र (बीएसपी) ने सभी आवश्यक औपचारिकताएं पूरी कर ली हैं, जिसमें सेल बोर्ड से अनुमोदन प्राप्त करना, राज्य सरकार के साथ संबंधित सहमती ज्ञापनों (एमओयू) का निष्पादन करना, उक्त भूमि खंडों का वास्तविक कब्जा सौंपना और निर्धारित अधिग्रहण एवं स्थापना शुल्क की प्राप्ति शामिल है। स्वामित्व का औपचारिक हस्तांतरण, जिसमें हस्तांतरण विलेखों (कन्वेयंस डीड) का निष्पादन और पंजीकरण, राजस्व अभिलेखों का दाखिल-खारिज (म्यूटेशन) और अन्य संबंधित औपचारिकताएं शामिल हैं, लागू कानूनों और प्रक्रियाओं के अनुसार संबंधित राज्य सरकार के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है।
